2021/14

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/21	136 L.R Act	बोरखेड़ी	छबड़ा

वादी A0005/21	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भगवतसिंह	बनाम	राज0 सरकार

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10/2/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नही हुआ। पुनः तहसीलदार छबड़ा को लिखा जाकर रिपोर्ट/जवाब लिया जावे। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट/जवाब दिनांक 5/5/21 को पेश हो।	
5/5/21	कोरोना संक्रमण ~~पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 8/6/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
8/6/21	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण~~ पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 12.7.21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
12/7/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 17.8.21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
17/8/21	पत्रावली कोविड-19 के कारण पूर्ववत स्थिति के आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नहीं। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 27/9/21 को पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
18/11/21	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के कार्य सूची पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बोर खेड़ी के खाता संख्या 48 में प्रार्थी का नाम भागवत सिंह के स्थान पर भागत सिंह दर्ज किया गया है जो त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है। अतः भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम भागत सिंह के स्थान पर भागवत सिंह दर्ज करने की कृपा करें। उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा मौका मौका में जानकारी करने पर पाया कि ग्राम बोरखेड़ी की जमाबंदी सं० 2075-2078 के खाता सं० 48 में प्रार्थी का नाम भागत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति अहीर दर्ज है जबकि मौके मौका में जांच करने व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर भागवत सिंह व भागत सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः प्रार्थी का भागतसिंह के स्थान पर भागवत सिंह दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है। मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का ग्राम बोरखेड़ी की कृषि खाता सं. 48 में भागतसिंह के स्थान पर भागवत सिंह का नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज०)

"प्रशासन ... न्यायालय उपखण्ड

राजस्थान सरकार

"प्रशासन गाँव के संग अभियान–2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ......छबड़ा जिला बारां (राज.)......

–: आदेश :–

प्रार्थी के ''खाता दुरूस्ती'' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी......बापचा......व भू.अ.नि. ......बापचा......

रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~बारां~~ छबड़ा/~~नायब तहसीलदार बारां~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम......बोरखेड़ी......तहसील ~~बारां~~ छबड़ा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत्......2075-78......

......में खाता संख्या......48......में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बोरखेड़ी	48	भगत सिंह पुत्र नारायण सिंह	भागवत सिंह पुत्र नारायण सिंह

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां

(मनोज तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/......कैम्प बापचा/233

दिनांक......18.11.2021......

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार......छबड़ा......को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री......भागवत सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी हनवतखेड़ा/बापचा......को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)
....